



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13072026-274239
CG-MH-E-13072026-274239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 507]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिमी रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 565(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के "गुजरात राज्य में विशेष रेलवे परियोजना - पश्चिमी रेलवे पर अहमदाबाद डिवीजन के वायोर-लखपत वाया कोटेश्वर (66.70 किमी) से नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, अबडासा, जिला कच्छ को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रेक्टिशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कच्छ जिले में वायोर-लखपत वाया कोटेश्वर (66.70 किमी) से नई ब्रॉड गेज लाइन परियोजना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	भूमि क्षेत्रफल (क्षेत्रफल वर्ग मीटर)
1	अबडासा	वायोर	219/p1	निजी	1400
2	अबडासा	वायोर	124	निजी	2390
3	अबडासा	वायोर	146/p23	निजी	5020
4	अबडासा	वायोर	121/p2	निजी	1493
5	अबडासा	वायोर	121/p1	निजी	1780
6	अबडासा	वायोर	121	निजी	1583
		कुल भूमि			13666

[फा.सं. ई-698930-02]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक - II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2026

G.S.R. 565(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the “Special Railway Project in the state of Gujarat -New Broad Gauge line from Vayor- Lakhpat Via Koteswar (66.70 KM) in District Kutch in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Abdasa, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
New Broad-Gauge line from Vayor- Lakhpat Via Koteswar (66.70 KM) in District Kutch in the state of
Gujarat.**

Name of District: Kutch

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Abdasa	Vayor	219/p1	Private	1400
2	Abdasa	Vayor	124	Private	2390
3	Abdasa	Vayor	146/p23	Private	5020
4	Abdasa	Vayor	121/p2	Private	1493
5	Abdasa	Vayor	121/p1	Private	1780
6	Abdasa	Vayor	121	Private	1583
		Total Land			13666

[F.No. E-698930-02]

S.R. Prasad, Chief Project Manager - II